

डिक्री बमूकहमें इब्दादाई
(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-गेलोली

मु0न0 276 / 2017

दीगण-

1. पांचाराम पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी गेलोली तहसील जायल जिला नागौर।
बनाम

वादीगण-

1. मीरा देवी पुत्री बालुराम
2. मोहनी पुत्री बालुराम
3. शांति पुत्री बालुराम
4. चुकी देवी पत्नी बालुराम जातियान जाट निवासीगण गेलोली तहसील जायल जिला नागौर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-24.05.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुकम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी संख्या 1 पांचाराम के हक बंट में मौजा गेलोली के खेत ख नं 132 रकबा 13.03 बीघा में से 13.01 बीघा , ख नं 135 रकबा 19.11 बीघा, ख नं 155 रकबा 08.10 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 1 पांचाराम व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के सामलाती हक बंट में खेत ख नं 132 रकबा 13.03 बीघा में से 0.02 बीघा उत्तरी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार जायल को डिक्री पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।
लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगे तक x को अदा करें। बसीकों मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.05.2018 को जारी किया गया।

मुद्दे	रुपये	पैसे	मुदायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी-दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सामूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमी"नर		
फीस कमी"नर			बाबत इजराय हुक्मीजान		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फार्मों को लहे डिगरी के जरिये दिया गया हो या नहीं करना चाहिये।

वन्ध सदस्य
राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

वन्ध सदस्य
राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- गेलोली

दिनांक-

क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिक्री आदेश के राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल, जिला नागौर